न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 25/2017

1. कुसुम पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

—अपीलांट

बनाम्

1. दीपचन्द पि0 रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. बंशीधर पि0 रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
3. मनिता पुत्री मनीराम जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
4. मथरो पि0 सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
5. लिलावती पि0 सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
6. रामकुमार पि0 सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
7. सरला पि0 सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
8. कलावती पि0 सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
9. भूरीदेवी पत्नी सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
10. नत्थूराम पि0 पारसा देवी पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
11. बाला पि0 पारसा देवी पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
12. सीताराम पि0 पारसा देवी पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
13. सुमन पि0 पारसा देवी पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
14. अभिषेक पि0 किरण पुत्र सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
15. पूनम पि0 किरण पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
16. टिकूराम पि0 किरण पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17. रामकुमार पुत्र सागरमल जाति ब्राहमण निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
18. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2017 प्रकरण संख्या 39/15 बंशीधर आदि बनाम मंथरादेवी जिसकी रूह से नामान्तरण सं0 2184 दिनांक 05.05.2017 रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा तस्दीक किया गया उक्त को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः— श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः— 28.2.2020

अपीलाण्ट ने तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 28.03.2017 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2017 प्रकरण संख्या 39/15 बंशीधर आदि बनाम मंथरा देवी नामान्तरण संख्या 2184 दिनांक 05.5.2017 विधि की अवहेलना मे एक पक्षीय तौर से पारित किया गया है जो की अपास्तनीय है
2. सागरमल वल्द रामानन्द ब्राहमण साकिन डुंगराना तहसील भादरा द्वारा रोही मौजा डुंगराना के ख0न0 119, 120 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा व ख0 न0 112/2 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि की वसीयत दीपचन्द, बंशीधर पि0 रामकुमार मनीता पुत्री मनीराम ब्राहमण साकिन डुंगराना के पक्ष में ब.हि.ब. दिनांक 02.08.13 को करवाई की सागरमल वल्द रामानन्द की मृत्यु दिनांक 01.08.14 को हो चुकी है। वसीयत दिनांक 02.08.2013 के गवाहन रामकुमार वल्द सागरमल जाति ब्राहमण के बयान हुवे है जो हितबद्ध साक्षी है क्योंकि उसके दोनो बेटो बंशीधर व दीपचन्द के पक्ष में तथाकथित वसीयत की गई है। गवाह काशीराम वलद नंदराम के ब्यान नही करवायें गये मातहत अदालत ने उक्त वसीयत में वर्णित भूमि रोही मौजा डुंगराना के ख0न0 119/120 के रकबा 5.223 हैक्ट में 142 हिस्सा व खसरा न0 112/2 रकबा 3.212 हैक्ट भूमि का नामान्तरण दीपचन्द बंशीधर पि0 रामकुमार व मनीता पुत्री मनीराम यानि रेस्पो0 1 व 2 व रेस्पो0 स0 3 के पक्ष में ब.हि.ब. के दर्ज करने के आदेश पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये है मातहत अदालत ने पैतृक भूमि के सम्बन्ध में तथ्यो की जांच किये बिना व स्वतंत्र साक्षी के ब्यानो के बिना अपीलाधीन निर्णय व नामान्तरण पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनाम हुआ जिसके मुताबिक रेस्पो0 स0 1 ता 3 ने तथा कथित वसीयत दिनांक 02.08.2013 का पारिवारिक सहमति व ग्राम पंचायत के मौजिजान के समक्ष उक्त वसीयत को खारीज माना गया तथा नामान्तरण दर्ज नही करवाने व वसीयत को खारीज मानने की व सभी वारिसों को राजस्व रिकार्ड में ब.हि.ब. मानने के तथ्यों बाबत सहमति हुई जिस बाबत सहमति पत्र भी लिखा गया उक्त सहमति पत्र में रेस्पो0 स0 1 ता 3 ने अपने हस्ताक्षर किये थे इसलिए धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार रेस्पो0 स0 1 ता 3 विविधि थे तथा वसीयत को रेस्पो0 स0 1 ता 3 स्वय खारीज मान चुके थे मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बातो को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

4. अपीलान्ट को मातहत अदालत ने पक्षकार नहीं बनाया कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2017 व नामान्तरण आदेश दिनांक 2184 दिनांक 05.05.2017 रोही मौजा डुंगराना से अपीलान्ट अपने हक व हिस्से की भूमि से महरूम हो गई है तथा अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है इसलिए धारा 96 सीपीसी के तहत बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रही है जो न्यायालय हाजा की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत रही है।

5. अपीलान्ट को अपीलाधनी निर्णय दिनांक 28.03.2017 व नामान्तरण संख्या 2184 दिनांक 05.05.2017 का पता नहीं था दिनांक 30.05.2017 को पटवारी हल्का से अपीलान्ट को पता चला जिस पर दिनांक 01.06.2017 को प्रमाणित प्रति निर्णय /नामान्तरण नकले प्राप्त करने पर बिना किसी देरी के ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है दोयम प्रश्नगत प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित है जिसमें कोई मियाद अवधि निर्धारित नही है फिर भी सुविधा की दृष्टि से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं

6. मातहत अदालत ने सागरमल वल्द रामानन्द के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया तथा एक पक्षीय एवं बिना किसी सुनवाई के तथा बिना किसी नोटिस अथवा सूचना व जवाब देही के नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया है जो अपास्तनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. वाद भूमि सागरमल के पिता रामानन्द की अर्जित भूमि थी सागरमल अपीलान्ट व रेस्पो0 को कोपासर्नर था सयुक्त हिन्दु परिवार की वसीयत अकेले कोपार्सनर सागरमल को करने का कोई अधिकार नही था अपीलान्ट व रेस्पो0 14 ता 17 को पक्षकार बनाये वगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है मातहत अदालत ने उक्त कानूनी तथ्यों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

8. वसीयत दिनांक 02.08.13 नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक थी जो इसलिए करवाई गई क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत केवल स्वयं अर्जित भूमि की हो सकती थी। वाद भूमि पैतृक थी इसलिए नोटेरी से सत्यापित करवाई गई तथा मातहत अदालत के समक्ष भूमि स्वयं अर्जित होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है मातहत अदालत ने उक्त भूमि के संबंध में सम्वत 2012 से 2015 व अन्य सबूत जो स्वयं अर्जित के हो सकते थे तलब नही किये इन सब के अतिरिक्त वसीयत दिनांक 02.08.2013 में रिहायशी मकानो व समस्त चल अचल सम्वत की वसीयत की गई थी। वसीयत दिनांक 02.08.2013 में कृषि भूमि गैर कृषि अचल सम्पतियों का उल्लेख है तथा इस कारण तथाकथित वसीयत दिनांक 02.08.13 एक कम्पोजिट विलेख है जिसका राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल नही था उपरोक्त कानूनी बातों को मातहत अदालत ने नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2017 प्रकरण संख्या 39/15 बंशीधर आदि बनाम मंथरा देवी नामान्तरण सख्या 2184 दिनांक 05.05.2017 रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा अपास्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की इंतकाल संख्या 2184 दिनांक 05.05.2017 नामान्तरकरण दर्ज करते समय कुसुम जो पुत्री थी उसको पक्षकार नही बनाया। सागरमल की मृत्यु दिनांक 01.08.2014 को हुई जिन्हाने वसीयत अपने दो पोतो दीपचंद व बंशीधर तथा एक पोती मनीता के नाम कर दी जबकि अपनी पुत्री के नाम कोई भूमि नही रखी जबकि भूमि पैतृक थी और मेरा जन्म से अधिकार था। मातहत अदालत ने भूमि स्वआर्जित/पैतृक की जानकारी किये बिना निर्णय किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह सागरमल के पिता रामानन्द की अर्जित भूमि थी। वसीयत रजिस्टर्ड नही होकर नोटेरी से सत्यापित है। स्वआर्जित होने का कोई प्रमाण भी पेश नही किया। वसीयत में गैर कृषि सम्पतियों का भी उल्लेख है अतः संयुक्त वसीयत जिसे राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार भी नही था। रेस्पोडेंटस 1,2 व 3 मे पारिवारिक राजीनामा हुआ जिसमे वसीयत गलत होना माना गया था तो फिर एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। अपील मेरी जानकारी मे आने पर पेश की है अन्दर मियाद है दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी दिया है। पैतृक सम्पति की वसीयत नही कर सकते मेरे हिस्से की भूमि इनको देने का अधिकार नही था। अतः अपील स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि अपील मियाद में नही है इनको पहले से पता था इन पक्षकारो में विवाद था कुसुम ने दीपचन्द इनके पिता रामकुमार के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था इसमें 04.11.14 को दिये बयान में कुसुम ने थानाधिकारी भादरा को दिये है उसमे वसीसत का व राजीनामे का भी जिक्र है। मथरा देवी व माया ने इस भूमि के लिए दावा भी किया था । यह माया व कुसुम एक है। दावा दिनांक 26.02.16 मे खारीज हो गया। दिनांक 23.02.2015 को हमने इस दावे मे जवाब पेश किया था इस जवाब दावे की मद संख्या 3 मे यह लिखा की सागरमल की स्वआर्जित भूमि है व हमे वसीयत द्वारा प्राप्त हो चुकी है तो फिर इनको जानकारी नही था –कैसे? अन्य सम्पति भी शामिल होने से संयुक्त वसीयत है उसे राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही तो फिर इन्होने सिविल कोर्ट से निरस्त क्यों नही करवाया । पैतृक सम्पति होने का कोई दस्तावेज इन्होने पेश नही किया। रामानन्द की भूमि होने का इन्होने कोई दस्तावेज पेश नही किया है। हमे तो दावे मे भी स्वआर्जित कह कर आ रहे है। वसीयत के सम्बन्ध मे तहसीलदार द्वारा अखबार मे नोटिस साया कर गवाहो के ब्यान लेकर निर्णय पारित किया है। कोई उपस्थित नही हुआ कोई आपति पेश भी नही हुई। अपील खारिज फरमावें अपीलाधीन निर्णय यथावत रखें।

पुनः अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस मे निवेदन किया कि इनका दावा लोक अदालत मे रहा। बिना हमे सुने नोटिस दिये उपखण्ड अधिकारी भादरा ने निर्णय कर दिया हमारे ब्यान भी नही लिये व पुत्री को भी सूचना नही दी एक स्थानीय अखबार मे नोटिस जारी कर हमें वंचित रखा। सहमति पत्र मे वसीयत को इन्होने खारीज माना है हमने सहमति पत्र पेश किया है। अपील स्वीकार फरमावें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2017 की अपील 19.06.2017 को पेश की गई और मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये अन्दर मियाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मानने की अपील की गई है जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलान्ट के थानाधिकारी भादरा को दिये गये बयान दिनांक 04.11.2014 से स्पष्ट है कि उक्त वसीयत के सम्बन्ध में अपीलांट को पहले से जानकारी थी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 25.01.2017 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसका प्रकाशन दिनांक 29.01.2017 को दैनिक नवज्योती में हो चुका था ऐसी स्थिति में अपीलांट को वसीयत की जानकारी नहीं हुई हो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसके साथ ही विवादित आराजी पैतृक थी स्वअर्जित नहीं थी के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया केवल कथन करने से उक्त आराजी पैतृक नहीं मानी जा सकती है जबकि अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में पेश की गई न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा के मुकदमा न0124/14 से सम्बन्धित जबाबदावे की नकल में जबाबदावे की मद सं0 3 एवं मद सं0 4 में रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त विवादित आराजी के स्वअर्जित होने एवं पैतृक नहीं होने का उल्लेख किया है विवादित आराजी को स्पष्ट रूप से पैतृक साबित करने का भार अपीलांट पर था जो उन्होने नहीं किया है । तहसीलदार भादरा द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय आपतियां आमन्त्रित की गई थी, गवाहो के बयान लिये गये थे एवं पटवारी हल्का डुंगराना की रिर्पोट भी ली गई थी इसप्रकार अपीलांट को वसीयत की पहले से जानकारी होने, अपीलांट द्वारा विवादित आराजी को पैतृक साबित नहीं करने एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से विधि सम्मत मानते हुये अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनाकं 28.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया शामिल मिसल रहे।

28/2/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official